बिजली की बदहाल व्यवस्था को लेकर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की बदहाली को लेकर जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। बीते सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने बिजली कंपनी को जानकारी देने के निर्देश दिए थे। डिवीजन बेंच के निर्देश पर बिजली कंपनी ने शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश कर दी है। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कंपनी के अधिकारियों ने जवाब दिया है कि वर्षा ऋतु में ब्रेकडाउन से ये स्थिति निर्मित होती है। काल सेंटर सहित अन्य सुविधाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी है।

शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई में डिवीजन बेंच ने जिला प्रशासन व बिलासपुर नगर निगम के अफसरों के साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारियों को तलब किया था। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने सवाल दागे थे। हिदायत दी थी कि शहरवासियों और आसपास के ग्रामीण इलाके जो निगम सीमा में शामिल है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ जानकारी मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहर की बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। एक बार बिजली गुल होने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है। फ्यूज काल सेंटर में अटेंडर न तो काल अटेंड करते हैं और न आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने में तत्परता दिखाते हैं। इससे शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नईदुनिया में पूर्व में प्रकाशित खबर

वर्षाऋतु में ज्यादा दिक्कतें

बिजली आपूर्ति व्यवस्था की बदहाली का आलम ये कि थोड़ी सी वर्षा और बादल गरजने के साथ ही बिजली गुल हो जाती है या फिर गुल कर दी जाती है। एक बार बिजली बंद होती है तो कम से कम दो से तीन घंटे आपूर्ति सामान्य होने में लग जाती है। काल सेंटर में ना तो फोन अटेंड करने वाला रहता है और ना ही काल अटेंड होता है। इसके चलते मोहल्लेवासियों की शिकायतें ना तो समय पर काल सेंटर को मिल पाती है और ना ही आपूर्ति को बहाल करने में बिजली कंपनी के मैदानी अमला समय पर निकल पाता है।